जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) एम.डी.एम. चम्पावत के अवधि 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री देवेंन्द्र कुमार दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव पन्त लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16.05.2016 से 27.05.2016 तक संपादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या कार्यालय **जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) एम.डी.एम. चम्पावत** द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

(अ) परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं प्रितांशु कुमार श्रीवास्तव, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 11.02.2015 से 24.02.2015 तक जिसमें माह 04/2006 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान में माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार सभाले रखा-

क्रं.सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1.	श्री कुँवर सिंह रावत	जिला शिक्षा अधिकारी	20.01.2014 से 14.08.2014
2.	श्री यशवन्त सिंह चौधरी	जिला शिक्षा अधिकारी	21.08.2014 से 13.08.2015
3.	श्री रणजीत सिंह नेगी	जिला शिक्षा अधिकारी	14.08.2015 से 18.09.2015
4.	श्री सत्य नारायण	जिला शिक्षा अधिकारी	19.09.2015 से वर्तमान तक

(ब) विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः अप्रस्तुत है

प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	प्रस्तर संख्या	
	भाग-दो(अ)	भाग-दो(ब)
82/2006-07	----	08
178/2014-15	----	1

(स) सतत् अनियमिततायेः- शून्य

(द) अप्रस्तुत अभिलेखः- अनुपालन आख्या

6. बजटः-

(₹ लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आयोजनेत्तर		आयोजनागत		अवशेष
			आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	
1.	2014-15	492.77	---	---	556.35	469.80	579.32
2.	2015-16	579.32	---	---	410.37	423.95	565.74

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-01- धनराशि ₹ 39.22 लाख अनावश्यक मांग किए जाने से अनुपयोगी रहना।

विभाग के अंतर्गत विभिन्न मदों में यथा बर्तन क्रय मद, भोजन माता मानदेय, कुकिंग कास्ट आदि के लिए सरकार से विद्यालयों के लिये धनराशि प्राप्त की गयी। जिसका उपयोग विद्यालयों में बर्तन खरीदने के लिए, भोजन माताओं को मानदेय का भुगतान करने के लिए एवं कुकिंग कास्ट के अन्तर्गत विद्यालयों में बनने वाले भोजन पर होने वाले व्यय को इसके अंतर्गत किया जाना था। जिससे विद्यालयों में छात्रों को मध्यान भोजन की सुविधा प्राप्त हो सके।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, से संबंधित लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि बर्तनों की धनराशि ₹ 1566268/- तथा भोजन माताओं की धनराशि ₹ 2271000/- की धनराशि अप्रयुक्त पड़ी हुई थी एवं विभिन्न विद्यालयों की जांच में यह पाया गया कि उनको अवमुक्त की गयी भोजन माताओं की धनराशि ₹ 84551/- विद्यालयों के पास अवरूद्ध थी। इस प्रकार कुल धनराशि ₹ 3921819/- (₹ 1566268 + ₹ 2271000 + ₹ 84551 = ₹ 3921819) विभाग के पास अवरूद्ध थी। उक्त राशि में से अधिकांश विगत काफी समय से अनुपयोगी पड़ी हुई थी। (विवरम संलग्न)

इसके परिणाण स्वरूप अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी तथा विभाग द्वारा उक्त राशियों का उपयोग नहीं किए जाने से उक्त राशि लगातार बढ़ती जा रही था, जबकि नियमों के अनुसार मदों की धनराशि का संचय नहीं किया जाना चाहिये, लेकिन विभाग के नियमों की अनदेखी कर रहा था।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि छात्र की संख्या कम हो जाने से भोजन माताओं को हटा दिया गया जिस कारण विभाग एवं विद्यालयों के पास धनराशि अवशेष है। विभाग के पास भोजन माताओं एवं बर्तनों की धनराशि वर्ष 2014-15 से लंबित है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यदि भोजन माताओं की संख्या कम हो गया थी तो आगामी वर्षों में शासन से उक्त मद में धनराशि को समायोजित करते हुये मांग की जानी थी जो कि विभाग द्वारा नहीं की गयी जिससे स्पष्ट है कि विभाग द्वारा शासन से अधिक धनराशि की मांग की गयी और उस धनराशि को अवरूद्ध रखा गया जो कि वित्तीय नियमों का उल्लंघन था। अतः विभाग द्वारा शासन से अनावश्यक रूप से धनराशि ₹ 39.22 लाख की मांग किए जाने से अनुपयोगी रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)

एम.डी.एम. चम्पावत

भोजन माता की धनराशि विभिन्न विद्यालयों में बैंक खातों में अवशेष का विवरणः-

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	अवशेष धनराशि का वर्ष	अवशेष धनराशि
1.	रा. प्रा. वि. सेरान (पाटी)	----	30564.00
2.	रा. प्रा. वि. पोखरी (पाटी)	----	14915.00
3.	रा. प्रा. वि. नौमना (बाराकोट)	----	1000.00
4.	रा. प्रा. वि. नेत्र सलान (बाराकोट)	----	1500.00
5.	रा. उ. मा. वि. शील बरुड़ी (बाराकोट)	----	19500.00
6.	रा. प्रा. वि. पुनई (बाराकोट)	----	509.00
7.	रा. उ. मा. वि. देवराड़ी (बाराकोट)	----	4500.00
8.	रा. इंटर कालेज सुई (लोहाघाट)	----	6000.00
9.	रा. उ. मा. वि. मटियानी (लोहाघाट)	----	563.00
10.	रा. प्रा. वि. राईकोट कुँवर (लोहाघाट)	----	5500.00
योग			**84551**

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-02- विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के कारण ₹ 30.50 लाख की धनराशि विद्यालयों के पास अवरूद्ध रहना।

मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत खंड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी का दायित्व है कि विद्यालयों में उनकी आवश्यकतानुसार ही धनराशि उपलब्ध हो तथा विकास खंड स्तर पर विद्यालयवार अवशेष धनराशियों को समायोजित करते हुए मांग प्रस्तुत की जाए और उसी के अनुसार धनराशि आवंटित की जाए।

जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) एम.डी.एम. चम्पावत के विद्यालयों में मध्याहन भोजन योजना के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि विभिन्न विद्यालयों में ₹ 3049610/- की धनराशि अवशेष पड़ी हुई है। धनराशि अवशेष होने के बाद भी राशि खातों में हस्तानांतरित कर दी जाती है। विद्यालयों द्वारा इस राशिका समायोजन नहीं किया जा रहा है। जो कि स्पष्ट करता है कि विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के कारण ₹ 30.50 लाख की धनराशि अवरूद्ध पड़ी हुई है।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि उक्त धनराशि एम.डी.एम. के खातों में वर्ष 2010-11 से लंबित है। उसके समायोजन हेतु अभी तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जिसके लिए कार्यवाही की जायेगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा पांच से छः वर्ष बीत जाने के पश्चात भी उक्त धनराशि का समायोजन नहीं किया गया एवं उसके लिए कोई कार्यवाही भी विभाग द्वारा नहीं की गयी जिससे स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के कारण ₹ 30.50 लाख की धनराशि अवरूद्ध पड़ी हुई है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-03- विद्यालयों के द्वारा धनराशि ₹ 1.19 लाख गैस संयोजन प्राप्त न किया जाना।

मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत चलायेजा रही भारत सरकार की योजना गैस संयोजना का मुख्य उद्देश्य जंगलों के कटाने से बचाया जाना तथा वातावरम को धुआँ रहित एवं स्वच्छ रखना है। प्रथमतः उन्ही विद्यालयों के लिए धनराशि प्रेषित की जाए जहाँ आसानी से गैस संयोजन उपलब्ध हो सके तथा उक्त विद्यालयों में नियमित रूप से गैस की आपूर्ति होती हो ताकि धनराशि प्रेषण के तुरंत बाद गैस संयोजना विद्यालयों को उपलब्ध हो सके तथा धनराशि केवल खातो में निष्प्रयोज्य न पड़ी रहे तथा उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र यथा शीघ्र प्रेषित किया जाये।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) मध्यान्ह भोजन योजना चम्पावत के अंतर्गत भारत सरकार की योजना 'गैस संयोजन' से संबंधित अभिलेखों कि नमूना जांच (05/2016) के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2009 में भी विभाग द्वारा 49 विद्यालयों को प्रति संयोजन 1500/- की दर से कुल 73500/- अवमुक्त किए गए। जबकि 49 विद्यालयों के पास गैस संयोजन 05/2016 तक उपलब्ध नहीं थे। विभाग के पत्रांक कि.उ./23/670/मा.भो.यो./2011-12 दिनांक 07 फरवरी, 2012 के क्रम में जनपद चम्पावत के 26 विद्यालयों में गैस संयोजन की मांग की गयी। जिसके सापेक्ष विभाग को धनराशि 94626/- माह 03/2014 में उपलब्ध करा दी गयी। इसके अतिरिक्त तथा 26 विद्यालयों में से 07 विद्यालयों केपास धनराशि 24444/- के गैस संयोजन उपलब्ध नहीं थे। इनके अतिरिक्त ब्लॉकों के विद्यालयों की जांच में पाया गया कि 11 विद्यालयों मेंभी गैस की धनराशि ₹ 20932/- अवरूद्ध थी। (विवरण संलग्न)।

इस प्रकार कुल धनराशि ₹ 121876/-के (₹ 73500 + ₹ 24444 +₹ 20932 = ₹ 118876) गैस संयोजन विद्यालयों के द्वारा नहीं क्रय किए गए। अतः अवशेष धनराशि ₹ 121876/- के गैस संयोजन की राशि को शासन के खाते में जमा किया जाना चाहिए था ताकि अन्य जनपदों को गैस संयोजन क्रय करने हेतु धनराशि अवमुक्त की जा सकती। जबकि 02 से 07 वर्षों के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी न तो गैस संयोजन क्रय किया जा रहा था और न ही धनराशि विभाग को वापस ही की जा रही थी। जिससे स्पष्ट था कि विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवन के कारण ₹ 1.19 लाख की धनराशि को अवरूद्ध रखा गया था।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि वर्ष 2008-09 में गैस संयोजन हेतु धनराशि विद्यालयों को अवमुक्त की गयी थी। जो गैस संयोजन हेतु कम पड़ गयी थी जिस कारण से उक्त धनराशि का उपयोग नहीं हो पाया था। जिन 19 विद्यालयों के द्वारा गैस संयोजन प्राप्त कर लिया गया है उनसे उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र मंगए जाने हेतु पत्राचार किया जा रहा है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा 02 से 07 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी न तो (53+11+7=71) 71 विद्यालयों से धनराशि प्राप्त की गयी और न विद्यालयों के द्वारा उक्त धनराशि से गैस संयोजन क्रय करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। 19 विद्यालयों के गैस संयोजन का उपयोगिता प्रमाणपत्र विभाग के पास उपलब्ध नहीं था। अतः 71 विद्यालयों द्वारा धनराशि ₹ 1.19 लाख गैस संयोजन प्राप्त न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)

एम.डी.एम. चम्पावत

विभिन्न विद्यालयों को गैस संयोजन हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	अवशेष धनराशि का वर्ष	अवशेष धनराशि
1.	रा. प्रा. वि. बेलखेत (टनकपुर)	2008-09	1500.00
2.	रा. प्रा. वि. (टनकपुर) (टनकपुर)	2008-09	1500.00
3.	रा. प्रा. वि. गैंडाखाली (टनकपुर)	2008-09	1500.00
4.	रा. प्रा. वि. नायकगोठ (टनकपुर)	2008-09	1500.00
5.	रा. प्रा. वि. झालाकुडी (टनकपुर)	2008-09	600.00
6.	रा. प्रा. वि. डूंगरी (लोहाघाट)	2008-09	1500.00
7.	रा. प्रा. वि. चौड़राजपुरा (चम्पावत)	2009-10	3492.00
8.	रा. प्रा. वि. बजौन (चम्पवात)	2009-10	1500.00
9.	रा. प्रा. वि. पड्गा, बडोली (चम्पावत)	04/2015	3940.00
10.	रा. प्रा. वि. भनौली (चम्पावत)	2008-09	600.00
11.	रा. प्रा. वि. सेरान (पाटी)	2009-10	2400.00
योग			**20932**

STAN

प्रस्तर-1- विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के कारण धनराशि ₹ 57.92 लाख को अवरूद्ध रखना।

राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक दिनांक 07 जुलाई 2008 के द्वारा विद्यालयों में किचन कम स्टोर निर्माण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए थे कि किचिन कम स्टोर रूम बनाने के लिए उन विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाए जहाँ निर्माण हेतु पर्याप्त जगह हो, जहाँ पूर्व में किचिन शेड निर्मित न हो, 10 अथवा 10 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का चयन किचिन निर्माण हेतु न किया जाए एवं जहाँ सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किचिन कम स्टोर रूम निर्मित नहीं किया गया हो। मध्यान भोजन योजना, उत्तराखण्ड के दिशा निर्देशिका में यह उल्लिखित है कि धनराशि का आहरण एक मुश्त नहीं किया जाए बल्कि, धनराशि किश्तों में अवमुक्त किया जाना उचित है। निर्माण कार्य यथा शीघ्र प्रारम्भ कर यह कार्य तीन माह में पूर्ण कर लिया जाये।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) एम.डी.एम. चम्पावत के किचिन कम स्टोर रूम के निर्माण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जां (05/2016) के समय यथ्य प्रकाश में आया कि विभाग को वर्ष 2012-13 में 105 किचिन कम स्टोर रूम बनाने के लिए धनराशि ₹ 211.80 लाख स्वीकृत किए गए थे जिसमें से 73 किचिन कम स्टोर रूम में निर्माण हेतु ₹ 15388500/- वर्ष 2012-13 में अवमुक्त किया गया एवं 11 किचिन स्टोर रूम के निर्माण हेतु वर्ष 2015-16 में धनराशि ₹ 1633500/- अवमुक्त किया गया इस प्रकार 84 किचिन कम स्टोर रूम में निर्माण हेतु धनराशि ₹ 17022000/- (15388500 + 1633500 = ₹ 17022000) विद्यालयों को अवमुक्त की गयी तथा शेष 21 किचिन कम स्टोर रूप में निर्माण किये जाने हेतु 4158000/- अवमुक्त किया जाना अभी शेष था। आगे यह भी देखा गया कि उक्त 84 कार्यों में से 09 किचिन कम स्टोर रूम के निर्माण का कार्य अभी तक नहीं किया गया था।

उक्त धनराशि का न तो निर्माण कार्य के लिये उपयोग किया जा रहा था और न ही इस धनराशि को वापस ही किया जा रहा था जिससे की इस धनराशि का अन्यत्र उपयोग किया जा सके, लेकिन विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के कारण ₹ 41.58 लाख की धनराशि (05/2016 तक) अनुपयोगी पड़ी हुई है।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथी अवगत कराया कि उक्त कार्यों के लिए धनराशि मार्च 2013 में प्राप्त हुई थी। 09 किचिन कम स्टोर के निर्माण का कार्य भूमि विहीन एवं विवाद के कारण अनारम्भ रहा जिसके धनराशि ₹ 1633500/- विद्यालयों को अवमुक्त किए गए उन विद्यालयों से धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया जा रहा है। अवशेष धनराशि ₹ 41.58 लाख को राज्य

परियोजना कार्यालय एस.एस.ए. देहरादून को वापस किया जाना है। जिसके लिए कार्यवाही की जा रही है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी निर्माण कार्य को धनराशि तब ही अवमुक्त की जाए जब उस निर्माण कार्य को करने के लिए भूमि उपलब्ध हो लेकिन विभाग द्वारा भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना विद्यालयों को धनराशि अवमुक्त कर दी गयी और तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी विभागों से धनराशि वापस प्राप्त नहीं की गयी तथा अवशेष धनराशि ₹ 41.58 लाख को भी तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी शासन को वापस नहीं किया जो विभाग की उदासीनता एवं अनुश्रवण को व्यक्त करता है। अतः विभाग द्वारा धनराशि ₹ 57.92 लाख (₹ 4158000 + ₹ 1633500 = ₹ 5791500) को अवरूद्ध रखने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2- 1700.82 कुंतल खाद्यान पर धनराशि ₹ 10.09 लाख का अनियमित व्यय।

मध्यान्ह भोजन योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार विद्यालय स्तर से पंजीकृत छात्र संख्या आधार पर ही प्रतिमाह खाद्यान की मांग की जाए, खाद्यान की मांग विद्यालयों में उपलब्ध अवशेष खाद्यान को समायोजित करते हुये की जाये एवं विद्यालय स्तर पर एक माह से अधिक खाद्यान का स्टॉक न रखा जाये। जिसकी सूचना विद्यालय स्तर से प्राप्त की जाये। योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम प्रति छात्र प्रति कार्यदिवस तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम प्रति छात्र कार्यदिवस के अनुसार ही उपभोग किया जाये।

मध्यान्ह भोजन योजना के वेब पोर्टल की सूचना के आधार पर जांच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 में प्राथमिक स्तर पर 15140 छात्र और उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 12186 छात्र पंजीकृत थे जिसके सापेक्ष उनकी औसत उपस्थिति प्राथमिक स्तर पर 11393 तथा उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 8796 थी। प्राथमिक स्तर पर प्रति छात्र 100 के अनुसार कुल 239 कार्यदिवसों में 2722.92 कुंतल और उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम के अनुसार 239 कार्यदिवसों में 3153.36 कुंतल खाद्यान (कुल 5876.28 कुंतल) का उपभोग किया गया। जबकि विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर पर 3677.10 कुंतल ₹ 2181439 धनराशि का खाद्यान आवंटित किया गया। जबकि विद्यालयों में प्रतिमाह लगभग 490 कुंतल खाद्यान का ही उपभोग किया जा रहा है। दिशा-निर्देशों के अनुसार एक माह से अधिक का खाद्यान ही अग्रिम के तौर पर रखा जाना था जबकि विभाग द्वारा 1700.82 कुंतल खाद्यान अधिक अवमुक्त किया गया। जबकि शासनादेशों के अनुसार खाद्यान के माहवार उठान एवं उपभोग की सूचना विध्यालय से प्राप्त की जानी थी जो कि नहीं प्राप्त की गयी। जिससे स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के कारण धनराशि ₹ 10.09 लाख का भुगतान करके अतिरिक्त खाद्यान पर व्यय किया गया।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि विकास खण्ड की मांग के अनुसार खाद्यान भेजा जाता है। विद्यालयों द्वारा विकास खण्डों को खाद्यान की मांग उपलब्ध कराई जाती है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं थी क्योंकि यदि विकास खण्डों के द्वारा विद्यालयों से खाद्यान उपलब्धता सुनिश्चित किया जाता तो 1700.82 कुंतल खाद्यान अधिक नहीं मंगवाया जाता जो स्पष्ट करता है कि विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के कारण

1700.82 कुंतल खाद्यान पर 10.09 लाख का अनियमित व्यय किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान/निराकरण स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें अलग से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर **जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) एम.डी.एम. चम्पावत** को इस आशय से प्रेषित की गई कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)